राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 420/2025

राजेन्द्र कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक	:	10.02.2025
आदेश की दिनांक	:	12..02.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री संदीप बिश्नोई, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से	:	श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– लेखराज तोसवाड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में हेड कॉन्सटेबल के पद पर पुलिस थाना भिरानी, जिला हनुमानगढ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण पुलिस थाना भिरानी से पुलिस थाना गोगामण्डी किया गया। उक्त स्थानान्तरण के एक वर्ष के भीतर पुनः आदेश दिनांक 13.01.2025 (अनुलग्नक–2) द्वारा पुलिस थाना गोगामण्डी से पुलिस थाना भिरानी किया गया, जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14.01.2025 (अनुलग्नक–3) को पुलिस थाना भिरानी में कार्यग्रहण किया गया। भिरानी में कार्यग्रहण के दो दिवस के भीतर ही प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा अपीलार्थी को उसके मोबाईल पर निर्देशित किया गया कि OB No. 73/15-01-2025 की पालना में जनरल डायरी डिटेल दिनांक 25.01.2025 (अनुलग्नक–4) के माध्यम से

अपीलार्थी का स्थानान्तरण पुलिस थाना भिरानी जिला हनुमानगढ से 150 किलोमीटर दूर पुलिस लाईन हनुमानगढ किये जाने के फलस्वरूप अपीलार्थी को पुलिस लाईन भिरानी से कार्यमुक्त किया जा रहा है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह कथन है कि उक्त सभी निर्देश अपीलार्थी को उसके मोबाईल नम्बर पर दिये जा रहे हैं किन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी आदेश जारी नहीं किये गये हैं और केवल Daily Diary Details के आधार पर बार–बार स्थानान्तरण किया जा रहा है जोकि नीतिगत न होकर विधि विरूद्ध एवं विभागीय स्थानान्तरण नीति की अवहेलना है। अतः अपील ग्राह्य की जाकर उक्त OB No. 73/15-01-2025 की पालना में जनरल डायरी डिटेल दिनांक 25.01.2025 (अनुलग्नक–4) के माध्यम से किये जा रहे स्थानान्तरण को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान कार्यरत स्थल पुलिस थाना भिरानी में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में हेड कॉन्सटेबल के पद पर पुलिस थाना भिरानी, जिला हनुमानगढ में कार्यरत है एवं OB No. 73/15-01-2025 की पालना में जनरल डायरी डिटेल दिनांक 25.01.2025 (अनुलग्नक–4) के माध्यम से पुलिस थाना भिरानी जिला हनुमानगढ से पुलिस लाईन हनुमानगढ में प्रशासनिक आवश्यकता एवं राज्यहित में रवानगी की गई है। हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा OB No. 73/15-01-2025 की पालना में जनरल डायरी डिटेल दिनांक 25.01.2025 (अनुलग्नक–4) में दिये गये रवानगी निर्देश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसवड़ा)
सदस्य